

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

Endorsement No. C/1733

Jabalpur, dated 04.5.2016.

The copies of the Notifications of the Government of M.P. F.No.1-6/89/XX1-B(1)1509/2016, Bhopal, dated 03.5.2016 and F.No.1-6/89/XXI-B(1)1400,1441/2016, Bhopal, dated 03.5.2016 as per the provisions of Section 36(2) of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act, 1985 forwarded to;

1. The Principal Secretary, Government of M.P. Department of Law and Legislative Affairs, Bhopal for information,
2. Registrar cum P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of M. P., Jabalpur for kind information of Hon'ble the Chief Justice,
3. The P.S. of the Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur for kind information of the Registrar General,
4. Principal Registrar, High Court of M.P. Bench at Gwalior and Indore for information,
5. The District and Sessions Judges (All in the State) for information and necessary action with request that the same be served on the concerned Officer.
7. The Section Officer, Confidential/Checker, High Court of M.P., Jabalpur for information.
8. Server Room, Computer for an appropriate action in connection with uploading the same on the website.

Vivek Saxena
04.5.2016
(Vivek Saxena)
O.S.D. (D.E.)

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 3 मई, 2016

फा.क्रमांक 1-6/89/इक्कीस-ब(एक) 1509/2016,- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 1-6-89-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल, 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 13 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

अनुक्रमांक	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम	विशेष न्यायालय	स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)
"13.	श्री बी.आर.पाटिल, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, दमोह	दमोह	दमोह ."

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

NOTIFICATION

F-N01-6/89/XX1-B(1) 1509/2016,-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification No. F.1-6-89-XX1-B(1) dated 3rd April, 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated the 17th April, 1998, namely:-

11211

AMENDMENT

In the said notification, in the schedule, for serial number 13 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

S.No.	Name and Designation of the Judge	Special Court	Local area Session Divisions
(1)	(2)	(3)	(4)
"13.	Shri B.R.Patil, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Damoh	Damoh	Damoh."

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(विरेन्द्र सिंह)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.क्रमांक 1-6/89/इक्कीस-ब(एक) 1509/2016,
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक...../05/2016

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक ए/1188, दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के संदर्भ में,
2. सचिव, म.प्र. शासन, गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, भोपाल,
3. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह म.प्र., की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं (म.प्र. राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
5. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

५ (आर.के.वाणी) 25/11/16

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 3 मई, 2016

फा.क्रमांक 1-6/89/21-ब(एक) 1400,1441/2016.- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 1-6-89-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल, 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 1, 2, 4, 7, 7-क, 7-ख, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 25, 26, 30, 31, 39, 42, 47-1, 48, 49 एवं 52-अ तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

अनुक्रमांक	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम	विशेष न्यायालय	स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड
1.	श्री बिनोद कुमार द्विवेदी, सत्रहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इंदौर	इन्दौर	इन्दौर
2.	श्री ओमकारनाथ, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन
3.	श्री गोपाल श्रीवास्तव, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रीवा	रीवा	रीवा
7.	श्री विगल प्रकाश, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, मंदसौर	मंदसौर	मंदसौर
7-क	श्री जे. सी. राठौर, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंदसौर	अतिरिक्त विशेष न्यायालय मंदसौर	मंदसौर
7-ब	श्री अंजनी नंदन जोशी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गरोठ	गरोठ	तहसील गरोठ तथा भनपुरा के स्थानीय क्षेत्र तथा इन क्षेत्रों के विचारण के लिये लंबित मामले
8.	श्री आर.आर.बड़ोदिया, बारहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर

10.	श्री राजकुमार भावे, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, शाजापुर	शाजापुर	शाजापुर
14.	श्री आर.जी.कोठे, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद
15.	श्री श्यामकांत कुलकर्णी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सीहोर	सीहोर	सीहोर
17.	श्री कुलदीप जैन, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड
18.	श्री प्रेम चन्द्र शर्मा, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, देवास	देवास	देवास
25.	श्री बी.एस.भदौरिया, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुरैना	मुरैना	मुरैना
26.	डॉ. जे.सी.सुनहरे, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, धार	धार	धार
30.	श्री दीपेश कुमार तिवारी, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा
31.	श्री तारकेश्वर सिंह, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, दतिया	दतिया	दतिया
39.	श्रीमती विभावरी जोशी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सतना	सतना	सतना
42.	श्री लीलाधर बौरासी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सीधी	सीधी	सीधी
47-1	श्री अरविंद कुमार शुक्ला, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, कटनी	कटनी	कटनी

48.	श्री राजेश कुमार कोष्ठा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, हरदा	हरदा	हरदा
49.	श्री अक्षय कुमार द्विवेदी, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, श्योपुर	श्योपुर	श्योपुर
52-अ.	श्री एस.सी.पाल, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उमरिया	उमरिया	उमरिया."

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

NOTIFICATION

F-N01-6/89/XX1-B(1)/2013/1400,1441/2016,-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No.61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this Department's Notification No. F.1-6/89-XX1-B(1) dated 3rd April, 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated the 17th April,1998, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, in the schedule, for serial numbers 1, 2, 4, 7, 7-A, 7-B, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 25, 26, 30, 31, 39, 42, 47-1, 48, 49 एवं 52-A and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

S.No.	Name and Designation of the Judge	Special Court	Local area Session Divisions
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shri Binod Kumar Dwivedi, XVII th Additional Session Judge, Indore	Indore	Indore
2.	Shri Omkarnath, Additional Sessions Judge, Ujjain	Ujjain	Ujjain
4.	Shri Gopal Shrivastava, II nd Additional Sessions Judge, Rewa	Gwalior	Gwalior
7.	Shri Vimal Prakash, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act., Mandsaur	Mandsaur	Mandsaur

7-A.	Shri J.C.Rathore, Additional Sessions Judge, Mandasaur	Additional Special Court, Mandasaur	Mandasaur
7-B.	Shri Anjani Nandan Joshi, Additional Sessions Judge, Garoth	Garoth Mandasaur	Garoth Mandasaur
8.	Shri R.R.Badodia, XII Additional Sessions Judge, Jabalpur	Jabalpur	Jabalpur
10.	Shri Rajkumar Bhave, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act. Shajapur	Shajapur	Shajapur
14.	Shri R.G.Kothe, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Hoshangabad	Hoshangabad	Hoshangabad
15.	Shri Shyamkant Kurkarni, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act., Sehore	Sehore	Sehore
17.	Shri Kuldeep Jain, II nd Additional Session Judge, Bhind	Bhind	Bhind
18.	Shri Prem Chandra Sharma, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Dewas	Dewas	Dewas
25.	Shri B.S.Bhadoria, Additional Sessions Judge, Morena	Morena	Morena
26.	Shri J.C.Sunahare, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Dhar	Dhar	Dhar
30.	Shri Deepak Kumar Tiwari, II nd Additional Session Judge, Chhindwara	Chhindwara	Chhindwara
31.	Shri Tarkeshwar Singh, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act. Datia	Datia	Datia
39.	Smt. Vibhawari Joshi, Spl. Judge, , Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Satna	Satna	Satna
42.	Shri Liladhar Borasi, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Sidhi	Sidhi	Sidhi

//5//

47-1.	Shri Arvind Kumar Shukla, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Katni	Katni	Katni
48.	Shri Rajesh Kumar Koshta, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act., Harda	Harda	Harda
49.	Shri Akshaya Kumar Dwivedi , II nd Additional Sessions Judge, Sheopur	Sheopur	Sheopur
52-A.	Shri S.C.Pal, I st Additional Sessions Judge, Umaria.	Umaria	Umaria ."

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(विरेन्द्र सिंह)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.क्रमांक 1-6/89/21-ब(एक) 1400,1441/2016, भोपाल, दिनांक.३.मई, 2016
प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर,की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक बी/1555/2016, दिनांक 10 अप्रैल, 2016 के संदर्भ में,
2. सचिव, म.प्र. शासन, गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, भोपाल,
3. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड, छिंदवाड़ा, दतिया, देवास, धार, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, कटनी, मंदसौर, मुरैना, रीवा, सतना, सीहोर, शाजापुर, श्योपुर, सीधी, उज्जैन एवं उमरिया, म.प्र., की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय,भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं (म.प्र. राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
5. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा,विधि और विधायी कार्य विभाग,भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।


(आर.के.वाणी)
सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग